न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 19 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 82
हेमन्त खुराना पुत्र विजय खुराना, निवासी मोहल्ला निमडी नीचे, वार्ड नं. 5 महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा एक बिन्दू के अप्रसांगिक आधार पर अन्य बिंदुओं की दिए जाने योग्य जानकारी को धारा 2 एफ के अन्तर्गत गलत व मनमाने ढ़ंग से आवेदन को अस्वीकृत किया गया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 141 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कार्यालय अभिलेखों में प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार सूचना का संधारण नहीं किये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के तहत सूचना तक पहुंच सम्भव नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है साथ ही अधिनियम के तहत नवीन सूचना तैयार कर प्रदान करने का प्रावधान नहीं हैं। प्रार्थी को किसी भी कार्यालय समय में उपस्थित आकर रिकार्ड की जांच कर आवश्यक प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लिखा गया हैं। अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं चाही गयी हैं :–

"1. अनूपगढ़ तहसील के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चक 1 डीडी प.नं. 181 / 27 मु.नं. 9 कि.नं. 14,15,16,17,18,19,20 / 2,21,22,23,24 व 25 कुल क्षेत्रफल 3.2510है. की कृषि भूमि के दिनांक 01.01.1975 से वर्तमान दिनांक तक के निवर्तमान एवं वर्तमान सभी काश्तकारों के नाम एवं काश्तकारी प्रकार खातेदार / गैर खातेदार एवं स्वीकृत नामातंरणों एवं पंजीकृत विक्रय विलेखों का सत्यापित विवरण मय पंजीकरण / स्वीकृति क्रमांक व दिनांक जारी करें।

2. उदमीराम पुत्र हेतराम पुत्र गोरधन द्वारा दिनांक 03.06.1975 को बहक, जंगीर सिंह पुत्र हरिसिंह के करवाए गए पंजीकृत विक्रय विलेख / बैनामा यदि कोई अभिलेख में हो तो की सत्यापित प्रति अथवा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करें।"

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा अपीलाथी / आवेदक का सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2024 को यह प्रति उत्तर भिजवाते हुए निरस्त किया कि :–

"सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत [illegible] कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का पूर्ण विवरण अंकित कर उसकी प्रतिलिपि [illegible] के द्वारा ऐसे किसी रिकार्ड का उल्लेख नहीं किया गया है। कार्यालय में चक एवं मुरब्बा वार ऐसे किसी रिकार्ड का संधारण नहीं किया जाता जिसमें दिनांक 01.01.1975 से दिनांक तक सभी काश्तकारों के नाम एवं प्रकार का अंकन हो। आप किसी भी कार्यालय समय में उपस्थित आकर अभिलेखों की जांच कर लेवें। तत्पश्चात नियमानुसार शुल्क जमा करवाया जाकर चाहे गए अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदान कर दी जावेगी। हाल सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के Section-2F के तहत आवेदन निरस्त किया जाता हैं।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:25:05 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधित विशिटियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा बिन्दू सं. 1 द्वारा जिस स्वरूप में सूचना चाही गयी हैं, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब अनुसार उस स्वरूप में सूचना कार्यालय में संधारित नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को कार्यालय अभिलेख की जांच करने हेतु लिखा गया हैं। बिन्दू सं. 2 द्वारा आवेदक द्वारा जो सूचना चाही गयी हैं वह काल्पनिक प्रतीत होती हैं चूंकि आवेदन द्वारा अपने आवेदन में अंकित किया हैं कि "उदमीराम पुत्र हेतराम पुत्र गोरधन द्वारा दिनांक 03.06.1975 को बहक, जंगीर सिंह पुत्र हरिसिंह के करवाए गए पंजीकृत विक्रय विलेख/बैनामा यदि कोई अभिलेख में हो तो की सत्यापित प्रति अथवा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करें। आवेदक/अपीलार्थी स्वयं ही वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होने को लेकर निश्चित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय जिसके द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया हैं से सहमत हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:25:05 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीणा)
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)